प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 30.06.2016 को पटना शहरी क्षेत्र में जलजमाव की आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु पूर्व तैयारी के संबंध में आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 30.06.2016 को पटना शहरी क्षेत्र में जलजमाव की आकस्मिक स्थिति से निपटने हेतु पूर्व तैयारी के संबंध में बैठक आयोजित की गयी, जिसमें प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम/पटना नगर निगम के सभी अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारी/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद/श्री दिलीप कुमार सिंह, महाप्रबंधक, पेसू, पटना/पटना के सभी 11 विद्युत आपूर्ति प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता/बिहार राज्य जल पर्षद के सभी कार्यपालक अभियंता एवं अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित हुए।

2. बैठक में प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बताया गया कि मॉनसून के पूर्वानुमान के अनुसार पटना में 94 प्रतिशत (+8%, -8%) बारिश की संभावना है। यदि अधिक बारिश होती है तो पटना में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और कम बारिश होने पर जलापूर्ति की समस्या होती है। पटना में Storm drainage पूर्णरूपेण पम्पिंग आधारित है एवं Storm drainage के पंप तथा जलापूर्ति के पंप दोनों बिजली से चलते हैं। पिछली बारिश के समय महत्वपूर्ण Storm drainage के पंप यथा योगीपुर, सैदपुर एवं पहाड़ी में बिजली आपूर्ति बाधित हो गयी थी।

3. पटना शहरी क्षेत्र के ड्रेनेज पम्पिंग संयंत्रों एवं जलापूर्ति पंपों की विवरणी, जिसमें संबंधित विद्युत सब–स्टेशन एवं फीडर का नाम, पम्प से संबंधित बिहार राज्य जल पर्षद तथा पटना नगर निगम के प्रभारी पदाधिकारी/अभियंता का नाम एवं मोबाईल सं० अंकित है, की सूची नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बैठक में उपस्थित ऊर्जा विभाग के पदाधिकारियों/अभियंताओं को उपलब्ध करा दी गयी।

4. प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग द्वारा निर्देशित किया गया कि पम्पिंग प्लांट से संबंधित ऊर्जा विभाग के संबंधित प्रभारी पदाधिकारी/अभियंता का नाम, पदनाम एवं मोबाईल नं०, विवरणी में अंकित करके 2 दिनों के अंदर नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।

5. दोनों विभागों के प्रधान सचिवों द्वारा निर्देशित किया गया कि संबंधित पदाधिकारी इस विषय को गंभीरता से लेते हुए पूर्ण समन्वय स्थापित रखेंगे।

6. अशोक नगर अंडरग्राउंड ड्रेनेज का कार्य बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा कराया जा रहा है। इनमें 3 बिजली के पोल को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाना है। इसके लिए बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा दिनांक 05.07.2016 तक अनुमान्य राशि बिजली बोर्ड को उपलब्ध करा दी

जाएगी। निर्णय लिया गया कि पोल को हटाने का कार्य SBPDCL द्वारा किया जाएगा, जिसे एक सप्ताह के अंदर Shifting का कार्य पूर्ण कर लिया जाय।

7. बिहार राज्य जल पर्षद के कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल द्वारा बताया गया कि SBPDCL द्वारा गत माह के भुगतान को समायोजित किये बिना ही नया भुगतान जारी कर दिया जाता है। यह निर्णय लिया गया कि SBPDCL के Payment portal में ऑनलाईन भुगतान करें। यदि उसके बाद भी कोई समस्या होती है तो अगली बैठक में इसे प्रतिवेदित किया जाय।

8. यह भी निर्णय हुआ कि यह बैठक पाक्षिक तौर पर किया जाएगा। इसकी अगली बैठक दिनांक 14.07.2016 को अप० 04:30 बजे नगर विकास एवं आवास विभाग के सभाकक्ष में पुनः की जाएगी, जिसमें ऊर्जा विभाग के सभी संबंधित पदाधिकारी/अभियंता उपस्थित रहेंगे।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

1/7/2016

(चैतन्य प्रसाद),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 4248 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 1/7/16

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/मुख्य अभियंता, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/महाप्रबंधक, पेसू, पटना/पटना नगर निगम के चारों अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारी/पटना के सभी 11 विद्युत आपूर्ति प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/7/2016

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 4248 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 1/7/16

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विशेष सचिव/निदेशक, नगरपालिका प्रशासन–सह–संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/7/2016

प्रधान सचिव